

मास्टर परिपत्र - 2012

विषय - वस्तु

पैरा क्र.	विवरण
1.	जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार
2.	जाली नोट पर मुहर लगाना
3.	प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना
4.	बैंक शाखा/कोषागार द्वारा प्राप्त नकदी में पाए गए जाली नोटों पर कार्रवाई करना - (प्राथमिकी)
5.	जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण
6.	काउंटरो से जारी करने , एटीएम मशीनों में भरने और आरबीआई निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों की जाँच करना
7.	नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना
8.	बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना
9.	अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना
10.	बैंक शाखाओं /बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष/ सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों द्वारा आँकड़ों की सूचना
11.	पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण
अनुबद्ध	अनुबद्ध - I
	अनुबद्ध - II
	अनुबद्ध -III
	अनुबद्ध - IV
	अनुबद्ध - V
	अनुबद्ध -VI
	अनुबद्ध - VII

भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा प्रबंध विभाग
मास्टर परिपत्र – 2012
जाली नोट पकड़ना और जब्त करना

पैरा 1	<p><u>जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार</u></p> <p>जाली नोट निम्नलिखित द्वारा जब्त किये जा सकते हैं;</p> <ul style="list-style-type: none">(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा(ii) निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा(iii) सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण विकास बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा(iv) सभी कोषागारों और उप कोषागारों(v) भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालय
पैरा 2	<p><u>जाली नोट पर मुहर लगाना</u></p> <p>विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं / मानकों के परीक्षण पर जाली नोट के रूप में निर्धारित प्रत्येक बैंकनोट पर " जाली नोट " की मुहर लगाकर जब्त कर लिया जाय । इसके लिए 5 सेमी x 5 सेमी. की एकसमान आकार की निम्नवत लेखनवाली मुहर का प्रयोग किया जाये ।</p> <p>जाली नोट जब्त किया /COUNTERFEIT BANKNOTE IMPOUNDED</p> <p>बैंक /कोषागार /उप कोषागार / BANK /TREASURY/ SUB-TREASURY</p> <p>शाखा /BRANCH</p> <p>हस्ताक्षर / SIGNATURE</p> <p>दिनांक /DATE</p> <p>प्रमाणित करते हुए इस प्रकार की जब्त की गयी प्रत्येक नोट की प्रविष्टि एक अलग रजिस्टर में की जाये ।</p>

<p>पैरा 3</p>	<p><u>प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना</u></p> <p>जब भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय अथवा बैंक शाखा अथवा कोषागार में प्रस्तुत बैंक नोट को जाली पाया जाता है तो अनुबंध-1 में दिये गये फार्मेट में प्रस्तुतकर्ता को, उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के अनुसार नोट पर मुहर लगाने के बाद नोट प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी की जाये।</p> <p>रसीद दो प्रतियों में क्रमिक नंबर वाली होनी चाहिए जिसके ऊपर प्रस्तुतकर्ता तथा कोषपाल के हस्ताक्षर करवाये जायें । परिणामस्वरूप इससे संबंधित सूचना को आम जनता के जानकारी के लिये कार्यालयों / शाखाओं में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाये । यदि प्रस्तुतकर्ता रसीद पर हस्ताक्षर न करना चाहे तो भी रसीद देना जरूरी है ।</p>
<p>पैरा 4</p>	<p><u>बैंक शाखा/कोषागार द्वारा प्राप्त नकदी में पाए गए जाली नोटों पर कार्रवाई करना - (प्राथमिकी) एफआईआर दर्ज करना</u></p> <p>बैंक शाखा / कोषागार /काउंटर पर बैंक द्वारा प्राप्त की गई नकदी में पता लगाये गये जाली नोट को उपरोक्त पैरा. 2 में बतलाये गये अनुसार प्रस्तुतकर्ता के समक्ष जब्त किया जाये ।</p> <p>इसके बाद, पुलिस को जाली नोट का पता लगाने की घटना की रिपोर्टिंग करते समय, निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएं :</p> <p>एक ही लेन-देन में 4 पीसेस तक जाली नोटों की शिनाख्त के मामलों में, नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को माह की समाप्ति पर संदिग्ध जाली नोटों के साथ एक समेकित रिपोर्ट(संलग्नक II) भेजी जाए।</p> <p>एक ही लेन-देन में 5 या उससे अधिक पीसेस तक जाली नोटों की शिनाख्त के मामलों में, नोडल अधिकारी द्वारा वे जाली नोट एफआईआर दर्ज करते हुए जांच-पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को अग्रेषित किये जाएं(संलग्नक II)।</p> <p>मासिक समेकित रिपोर्ट/एफआईआर की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के</p>

जाली नोट सतर्कता कक्ष को (केवल बैंकों के मामले में) भेजी जाएगी और कोषागार के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजा जाये ।

पुलिस को प्रेषित जाली नोट/टों के संबंध में प्राप्ति सूचना प्राप्त की जाये । पुलिस को नकली बैंक नोट बीमाकृत डाक द्वारा भेजे जाने पर उनकी प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से ले ली जाये और उन्हें रिकार्ड में रखा जाए । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्ति सूचना प्राप्त करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित है । एफआईआर दर्ज करवाने में पुलिस के आनाकानी करने में कार्यालयों /शाखाओं को किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकरण के नोडल ऑफिसर , जिसे जाली नोटों से संबंधित मामलों का समन्वय करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है, से मिलकर मामले को निपटाया जाए।

नोडल पुलिस स्टेशन की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जाएं।

जाली नोटों का पता लगाने और उक्त की सूचना पुलिस ,आरबीआई आदि को देने में की गई प्रगति और उससे संबंधित समस्याओं पर विभिन्न राज्य स्तरीय समितियाँ अर्थात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) , करेंसी प्रबंधन पर स्थायी समिति(एससीसीएम) राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति(एसएलएससी), आदि की बैठकों में नियमित रूप से विचार - विमर्श किया जायें ।

किसी भी हालत में जाली नोट , प्रस्तुतकर्ता को न तो लौटाया जाय और न ही उसे बैंक -शाखाओं / कोषागारों द्वारा नष्ट किया जाये ।

बैंक-शाखाओं /कोषागारों में पकड़े गए जाली भारतीय बैंक नोटों के आंकड़े , नीचे दिये गये पैरा- 9 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक , निर्गम कार्यालय को प्रेषित की जानेवाली मासिक विवरणियों में शामिल किये जायें ।

विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी भी भारतीय दंड संहिता में दी गई परिभाषा के अंतर्गत जाली करेंसी में आती है । पुलिस विभाग/सरकारी एजेंसियों से अभिमत /राय देने हेतु प्राप्त संदिग्ध विदेशी करेंसी नोटों के मामलों

	<p>में , प्रस्तुतकर्ता को यह सूचित किया जाये कि वे उचित विचार -विमर्श के बाद उक्त नोटों को नई दिल्ली स्थित सीबीआई की इंटरपोल विंग के पास भेज दें ।</p>
<p>पैरा 5</p>	<p><u>जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण</u></p> <p>यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक-शाखाओं , मुद्रा तिजोरियों /कोषागारों में नगदी संचालन करनेवाला स्टाफ ,बैंकनोटों के सुरक्षा विशेषताओं से पूरी तरह परिचित है ।</p> <p>बैंक -शाखा के कर्मचारियों को जाली नोट पहचानने की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से अनुबंध – VII में दर्शाये गये बैंक नोटों के सुरक्षा लक्षण तथा डिज़ाइन सभी बैंकों / कोषागारों को इस निर्देश के साथ भेज दिये गये हैं कि वे इन्हें आम जनता के जानकारी के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें ।</p> <p>शाखाओं के स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए 2005-06 श्रृंखला के बैंकनोटों के पोस्टरों की आपूर्ति की गयी है । 2005-06 श्रृंखला के बैंकनोट के पोस्टर http://paisaboltahai.rbi.org.in पर भी उपलब्ध हैं । बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नकद लेन-देन करनेवाले सभी बैंक कार्मिकों को 3वर्षों की अवधिके भीतर भारतीय बैंक नोटों की वास्तविक विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है ।</p> <p>जाली नोटों के प्रवेश के स्तर पर ही , उनका पता लगाने में, स्टाफ सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु नियंत्रक कार्यालयों /प्रशिक्षण केंद्रों को बैंक नोटों के सुरक्षा लक्षणों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करना होगा । भारतीय रिज़र्व बैंक , संकाय सहायता और प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करेगा ।</p>
<p>पैरा 6</p>	<p><u>काउंटरो से जारी करने , एटीएम मशीनों में भरने और आरबीआई निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों की जाँच करना</u></p> <p>बैंकों को अपना नकद प्रबंधन में कुछ इस प्रकार से पुनःसुधार करना होगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके ₹.100 और इससे अधिक मूल्यवर्गों में नकद प्राप्ति को उन नोटों की प्रामाणिकता के लिए उन्हें मशीन पर प्रसंस्करित</p>

किये बगैर पुनः संचलन में नहीं डाला जाता हैं। यह अनुदेश दैनिक नकद प्राप्ति को ध्यान में लिए बगैर सभी शाखाओं पर लागू होंगे। इस अनुदेश के किसी भी अननुपालन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 19 नवंबर 2009 के निदेश सं. 3158/09.39.00(नीति)/2009-10 का उल्लंघन माना जाएगा।

एटीएम मशीनों के माध्यम से प्राप्त जाली नोटों से संबंधित शिकायतों का निपटान करने और जाली नोटों के संचलन पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अत्यावश्यक है कि एटीएम को नोटों से भरने से पूर्व पर्याप्त सुरक्षा उपायों/नियंत्रणों को लागू किया जाये। एटीएम मशीनों के माध्यम से जाली नोटों को वितरित किया जाना, इसे संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया एक प्रयास माना जायेगा।

मुद्रा तिजोरी विप्रेषणों /शेषों में जाली नोटों का पाया जाना, इसे भी संबंधित मुद्रा तिजोरी द्वारा जान-बूझकर जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया प्रयास माना जायेगा जिसके परिणामस्वरूप पुलिस प्राधिकरण द्वारा विशेष जाँच की जा सकती है और अन्य कार्रवाई अर्थात् संबंधित मुद्रा तिजोरी के प्रचालनों को स्थगित करने जैसी कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, संबंधित मुद्रा तिजोरियों से गंदे नोटों को उठाने की अंतिम तारीख से निरीक्षण के दौरान मुद्रा तिजोरी विप्रेषणों में पकड़े गये जाली नोटों की राशि पर उच्चतर दण्डात्मक ब्याज/दण्ड लगाने पर विचार कर सकता है।

पैरा 7

नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना

प्रत्येक बैंक को जिला-वार नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और उसकी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और पुलिस प्राधिकरण को देनी होगी। पैरा 4 में यथाउल्लिखित, जाली नोट के शिनाख्त की रिपोर्टिंग के मामले नोडल बैंक अधिकारी के माध्यम से आने चाहिए। नोडल बैंक अधिकारी जाली नोट पाये जाने से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए एक संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा।

पैरा 8	<p><u>बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना</u></p> <p>प्रत्येक बैंक निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अपने प्रधान कार्यालय में जाली (नकली) नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करे: -</p> <ol style="list-style-type: none">1. जाली नोटों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को अपनी सभी शाखाओं में प्रचारित करना । इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना । अपनी शाखाओं में पकड़े गये जाली नोटों से संबंधित आंकड़े मासिक आधार पर एक जगह समेकित करना और वर्तमान अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक और एफआईयू - आईएनडी को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करना । पुलिस प्राधिकरण और निर्दिष्ट नोडल अधिकारी के साथ जाली नोटों के मामलों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करना ।2. बैंको के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी से समेकित जानकारी का आदान-प्रदान करना तथा उन्हें काउंटरों पर स्वीकृत /जारी किये गये जाली नोटों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट देना ।3. ऐसे मुद्रा तिजोरियों के स्तर पर आवधिक आकस्मिक जाँच करना जहाँ पर दोषपूर्ण/जाली नोट आदि का पता लगाया गया है ।4. सभी मुद्रा तिजोरियों के स्तर पर उचित सक्षमता में नोट सॉर्टिंग मशीनों के प्रचालनों को सुनिश्चित करना और मुद्रा तिजोरीवाली शाखाओं के स्तर पर जाली नोटों के पता लगाने पर सावधानी पूर्वक निगरानी करना और उक्त का उचित रूप से रिकार्ड रखना । यह सुनिश्चित करना की एटीएम मशीनों में भरे गये और काउंटर पर जारी किये गये नोटों की उचित रूप से छँटनी तथा निरीक्षण किया गया है और प्रसंस्करण तथा नोटों के मार्गस्थ के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायों सहित आकस्मिक जाँच को लागू करना ।

	<p>जाली नोट सतर्कता कक्ष से यह अपेक्षित है कि वे उपरोक्त पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही के आधार पर , संबंधित तिमाही के समाप्ति पर पंद्रह दिनों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक , मुद्रा प्रबंध विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक , केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन , चौथी मंजिल , सर पी .एम.रोड , फोर्ट , मुंबई - 400 001 और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत हैं ,.को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रेषित करें ।</p> <p>जाली नोट सतर्कता कक्षों के पतों को अद्यतन करने के उद्देश्य से बैंक से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष में 1 जुलाई के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबद्ध IV) में इ- मेल से पते आदि आरबीआई को प्रस्तुत करें ।</p>
पैरा 9	<p><u>अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना</u></p> <p>जाली नोटों की पहचान सुगम बनाने के लिए बैंक की सभी शाखाओं / खजानों में अल्ट्रा-वायलेट लैम्प / अन्य सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाए । सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं में , सत्यापन, प्रसंस्करण और छँटनी करने वाली मशीनों की व्यवस्था होनी चाहिये और मशीनों का इष्टतम स्तर तक उपयोग करना चाहिये । इन मशीनों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2010 में निर्धारित " नोट सत्यापन और फिटनेस सार्टिंग मानदंडो " के अनुरूप होना आवश्यक हैं ।</p> <p>बैंकों को , पता लगाये गये जाली नोटों सहित नोट छँटनी मशीनों के माध्यम से संसाधित नोटों का दैनिक रिकार्ड रखना होगा ।</p> <p>बैंक अन्य शाखाओं में भी नोट सत्यापन और प्रसंस्करण करने वाली, गंदे तथा जाली (नकली) नोट अलग- अलग करने के लिये समुचित क्षमता वाली मशीनों की व्यवस्था करें इसके साथ ही जनता के उपयोग हेतु काउंटर पर नोट गिनने वाली कम से कम एक मशीन (जिसमें दोनों तरफ संख्या प्रदर्शित करने</p>

	की सुविधा हो) लगायी जाये ।
पैरा 10	<p>i) बैंक शाखाओं द्वारा आँकड़ों की सूचना</p> <p>बैंक की सभी शाखाओं द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों का डाटा मासिक आधार पर निर्धारित फार्मेट में सूचित करना आवश्यक है । माह के दौरान बैंक शाखाओं में पता लगाये गये जाली नोटों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण (अनुबद्ध V) समेकित करना होगा और रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को इस प्रकार प्रेषित किया जाये कि वह आगामी माह की 7 तारीख तक उन्हें प्राप्त हो जाये ।</p> <p>बैंक शाखाओं को , अब तक के अनुसार राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो को आँकड़े प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।</p> <p>बैंकों के प्रधान अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे ,नकदी संचालनों में जहाँ जाली नोटों का इस्तेमाल असली नोटों के रूप में किया गया है ऐसे मामले की सूचना , सात कारोबारी दिनों के भीतर निदेशक , एफआईयू -आईएनडी वित्तीय आसूचना यूनिट - इंडिया , 6 वी मंज़िल , हाटेल सम्राट , चाणक्यपुरी , नई दिल्ली -110021 को सूचित करें ।</p> <p>माह के दौरान यदि कोई जाली नोट का पता नहीं लग गया हो तो ' निरंक ' विवरण भेजा जाये ।</p> <p>ii) बैंक के शाखा सतर्कता कक्ष द्वारा आँकड़ों की सूचना</p> <p>बैंक (सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) के प्रधान कार्यालय के स्तर पर गठित जाली नोट सतर्कता कक्ष से यह अपेक्षित है कि वह अनुवर्ती महीने के समाप्ति के पूर्व संलग्नक VI के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में , अखिल भारतीय स्तर पर बैंक द्वारा संसाधित नोटों (₹ 100 और उससे अधिक) का डाटा और पता लगाये गये जाली नोटों को दर्शाते हुए एक मासिक विवरण मुद्रा प्रबंध विभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक , केंद्रीय कार्यालय को निम्नलिखित पते पर :- इ - मेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा । हार्ड प्रति</p>

	<p>भेजने की आवश्यकता नहीं है ।</p> <p>माह के दौरान यदि कोई जाली नोट का पता नहीं लग गया हो तो ' निरंक ' विवरण भेजा जाये ।</p> <p>iii) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आँकड़ों की सूचना</p> <p>संलग्नक V के अनुसार सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों की शाखाओं द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों के आंकड़ों को मासिक आधार पर आरबीआई के संबंधित निर्गम कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।</p> <p>संलग्नक VI के अनुसार मासिक आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर बैंक के प्रधान कार्यालय में आंकड़ों को समेकित करना होगा और जब कभी मांगा जाये तब उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा ।</p>
पैरा 11	<p><u>पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण</u></p> <p>पुलिस प्राधिकरण / न्यायालयों से पुनः प्राप्त सभी जाली नोटों को बैंक की अभिरक्षा में सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाये और संबंधित शाखा द्वारा उक्त का रिकार्ड रखा जाये। बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष को भी ऐसे जाली नोटों का शाखावार समेकित रिकार्ड रखना होगा ।</p> <p>संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक छमाई (31 मार्च और 30 सितंबर पर) के आधार पर शाखाओं के स्तर पर स्थित इन जाली नोटों का सत्यापन करना होगा । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त तारिख से इन जाली नोटों को तीन वर्ष के अवधि के लिए परिरक्षित करना होगा ।</p> <p>इसके पश्चात पूर्ण ब्योरे के साथ इन जाली नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजा जाये ।</p> <p>जाली नोट जो न्यायालय में मुकदमेबाजी के अधीन हैं उन्हें न्यायालय निर्णय के बाद संबंधित शाखा के पास तीन वर्ष तक रखा जाएं ।</p>

अनुबंध-1
(पैरा सं.3)

जाली नोट प्रस्तुतकर्ता को जारी की जानेवाली रसीद

बैंक / तिजोरी / उप -तिजोरी का नाम -----			
बैंक / तिजोरी / उप -तिजोरी शाखा का नाम व पता -----			

पावती क्रमिक संख्या:			
दिनांक:			
निम्नलिखित विवरण (वाला/वाले) नोट श्री -----			
(प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता) जाली है / हैं, अतः उसे / उन्हें जब्त किया जाता है			
और तदुसार उस / उन पर मुहर लगायी जाती है।			
नोट की क्रमिक संख्या :	मूल्यवर्ग	मानदंड जिसके आधार पर	
	नोट को	जाली नोट समझा गया	
नोटों की कुल संख्या :			
प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर		काउंटर	कैशियर के
	हस्ताक्षर		

अनुबंध - II
(पैरा सं.4)

जाली नोटों की शिनाख्त - एक ही लेन-देन में 4 पीसेस तक -
-----माह के लिए समेकित मासिक रिपोर्टिंग

बैंक का नाम/जिला :

नोडल अधिकारी का नाम और पता :

प्रस्तुतकर्ता के ब्योरे	शिनाख्त की तारीख	शाखा का नाम	मूल्यवर्ग/पीसेस/श्रृंखला संख्या	सुरक्षा विशेषताओं का उल्लंघन

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

बैंक शाखा का नाम व पता

जिला

नोडल अधिकारी का नाम और पता

संदर्भ सं.

दिनांक:

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक

----- पुलिस थाना

महोदय

जाली नोट /टों का पता लगाना -जाँच का अनुरोध

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट और नोट प्रस्तुतकर्ता का नाम, पता तथा उसका अभिकथन संलग्न कर रहे हैं। 2. चूँकि , भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और/या संचलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489 ई के तहत अपराध है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें और अपराधी से जवाब - तलब करें । यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस , फॉरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेज देने हेतु व्यवस्था कर लें । प्रस्तुत विशेषज्ञ के राय को आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। जाँच और/या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट/न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जायें ।

जाली नोटों का विवरण

		श्रृंखला संख्या	नोटों की संख्या	मूल्य
(क)	मूल्यवर्ग			
(ख)	प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता			
(ग)	शाखा का नाम व पता			
(घ)	हमारी प्रविष्टि सं.			

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनुबंध-IV
(पैरा सं.8)

पता, आदि जाली नोट के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म -
सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) से आरबीआई

(प्रत्येक वर्ष पर 1 जुलाई को इ-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाय)

संदर्भ : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2012 को जारी मास्टर परिपत्र

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता (पिनकोड सहित)	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	कोड सहित फैक्स संख्या	एफएनवीसी का इ-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पदनाम

नोट: dcmfnvd@rbi.org.in पर पूर्ण भरे हुए फार्मेट को एम एस एक्सेल में इ-मेल द्वारा प्रेषित किया जाये ।

अनुबंध-V
(पैरा सं.10)

बैंक शाखा का नाम और पता / ज़िला

_____ माह के दौरान शाखा में पता लगाये गये जाली नोटों के ब्यौरे

(क) मूल्यवर्ग के अनुसार ब्यौरे

पता लगाने के प्रकार	बैंक शाखा का नाम	मूल्यवर्ग / श्रृंखला संख्या						कुल नग	कुल मूल्य (रु)	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम जहाँ शाखा स्थित है।
		रु. 10	रु.20	रु.50	रु.100	रु.500	रु.1000			
बिना एफआईआर दर्ज										
एफआईआर दर्ज										

(ख) पुलिस में दर्ज किये गये मामलों के ब्यौरे

	माह के प्रारंभ में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (क)	माह के दौरान पुलिस को भेजे गए मामलों की संख्या. (ख)	माह के दौरान पुलिस ने कितने मामले लौटाए. (ग)	माह के अंत में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (घ)
कुल मामले				
कुल नग				

नोट: दर्ज किये गये प्रत्येक एआईआर में एक मामला शामिल है । एआईआर के अंतर्गत शामिल नोटों को उपरोक्त प्रत्येक कॉलम में दर्शाया जाये ।

अग्रेषित

1) महाप्रबंधक /उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग -----

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम

अनुबंध-VI
(पैरा सं.10)

इ -मेल से

बैंकों द्वारा पता लगाये गये जाली नोट
(अखिल भारतीय स्तर पर समेकित डाटा)

_____ माह के लिए सूचना

बैंक का नाम _____

जाली नोट सतर्कता कक्ष का पता _____

इ - मेल पता _____

भाग -1; बैंक द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश वार पकड़े गये जाली नोटों का संक्षिप्त ब्यौरा ।

राज्य/संघ शासित प्रदेश*	मूल्यवर्गवार नोटों की संख्या						कुल नोट
	रु.10	रु.20	रु.50	रु.100	रु.500	रु.1000	
1							
मशीन द्वारा संसाधित बैकनोट							
पता लगाये गये जाली नोट / श्रृंखला संख्या							
2							
3							
कुल जोड़							

* राज्य / संघ शासित प्रदेश का नाम दर्शाएं

भाग -2 : पुलिस में दर्ज किये गये मामलों के ब्यौरे

	माह के प्रारंभ में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (क)	माह के दौरान पुलिस को भेजे गए मामलों की संख्या. (ख)	माह के दौरान पुलिस ने कितने मामले लौटाए. (ग)	माह के अंत में पुलिस के पास लम्बित मामलों की संख्या. (घ)
कुल मामले				
कुल नोट				

नोट: दर्ज किये गये प्रत्येक एफआईआर में एक मामला शामिल है । एआईआर के अंतर्गत शामिल नोटों को उपरोक्त प्रत्येक कॉलम में दर्शाया जाये ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि (i) भाग 1 में दर्शाये गये सभी नोटों के बारे में एफआईआर दर्ज किया गया है और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को संबद्ध डाटा सूचित किया गया है ।

जाली नोट सतर्कता कक्ष के प्रमुख का नाम _____

पदनाम _____

तारीख _____

मुद्रा प्रबंध विभाग , (जाली नोट सतर्कता प्रभाग) भारतीय रिज़र्व बैंक , मुंबई को प्रेषित । नोट : रिपोर्ट एमएस एक्सेल में तैयार किया जाये और [इ-मेल](#) से पर प्रेषित किया जाये ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1967 और
उसके बाद जारी किए गए नोटों के विशिष्ट लक्षण

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
I. 10 रुपये के नोट				
1967	137 x 63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	हल्का जामुनी रंग। केंद्र में 10 का अंक।	नोट का मूल्य 14 भारतीय भाषाओं में। वर्तुल में सागर का दृश्य तथा पालदार नौका।
1968	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग। वचन-खण्ड, गारण्टी- खण्ड और हस्ताक्षर को द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया।	ऊपर लिखी खासियत के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम हिन्दी में भी मुद्रित किया गया।
1969	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग. 'RUPEES TEN' के स्थान पर 'TEN RUPEES'—	महात्मा गांधी का चित्र
1970	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ चक्र	भारतीय रिज़र्व बैंक ऊपर लिखा गया और RESERVE BANK OF INDIA को नीचे मुद्रित किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षरों का स्थान बदला गया। सत्यमेव जयते का मुद्रण किया गया। वाटर मार्क- विंडो और नम्बर पैनल को बड़ा किया गया।	मोहर द्विभाषी रूप में डाली गयी।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
1975	उक्त	उक्त	गहरा भूरा, गहरा पीला, नीला रंग। '10' का अंक गहरे कत्थई रंग में। उभरा हुआ मुद्रण। भाषाओं का पैन्ल बाईं तरफ तथा अशोक स्तम्भ दाईं तरफ।	हल्का कत्थई, चमकीला नीला और हरा रंग। एक घेरे में पेड़ की शाखा पर बैठे दो मोर। हिरण, घोड़े, पक्षी और कमल।
1992	उक्त	उक्त	समूची रंग योजना हल्का गुलाबी, मेजेन्टा और पीलापन लिए हुए।	शालीमार बाग।
वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
1996	उक्त	वाटरमार्क विंडों में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएँ।	समूची रंग-योजना में बैंगनी भूरा, संतरी और गुलाबीपन। महात्मा गाँधी का चित्र। छिपा हुआ सुरक्षा धागा, जिसे रोशनी के सामने करके देखने पर दोनों तरफ से 'भारत RBI' शब्द पढ़े जा सकते हैं।	एक दूसरे में गुंथी हुई फुलकारी, जिसमें हाथी, गैंडा और बाघ के मुँह दिखाए गए हैं। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु-आयामी रेखाएँ और मूल्यवर्गीय 10 अंक दिखानेवा	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 1.4 मि.मी। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		लाइलेक्ट्रो टाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	

II. 20 रुपये का नोट

1972	147x63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	केसरिया रंग। अशोक स्तम्भ दाईं तरफ और भाषाओं का पैनेल बाएँ तरफ।	समांतर पैनेल के मध्य में बड़े अक्षरों में हिन्दी में बीस रुपये और दोनों कोनों में 20 का अंक। संसद भवन का चित्र। बाएँ तरफ नोट का मूल्य भारतीय भाषाओं में।
1975	उक्त	छोटा अशोक स्तम्भ जिसके	लाल, नीला, बैंगनी और हल्का पीला रंग। हल्के पीले रंग की कमल जैसी आकृति के ऊपर गहरे बैंगनी रंग में 20 का अंक। भाषाओं का पैनेल बायें	ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग। लाल, नीला और बैंगनी रंग। बीचों-बीच कोणार्क सूर्य मंदिर के

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		चारों ओर चक्र की श्रृंखला। कागज पर सरेश लगा हुआ।	तरफ और अशोक स्तम्भ दाएं तरफ। नोट का मुद्रण कागज के एकदम किनारे तक किया गया है, लेकिन चारों कोनों को सफेद ही छोड़ दिया गया है। नाम, वाक्य-खंड और हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	रथ का पहिया। पीलापन लिए हुए नीले रंग में वाटरमार्क विन्डो। इस विन्डो के चारों ओर जो सजावटी डिजाइन बना है वह नोट की दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
2001	उक्त	महात्मा गांधी का चित्र	सुरक्षा धागा पूरी तरह से गुंथा हुआ जिस पर 'भारत' और 'RBI' लिखा हुआ है। नोट का रंग मुख्यतया लाली लिए हुए संतरी। अशोक स्तम्भ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र गहरे लाल रंग में है। अशोक स्तंभ को नोट के बाएँ ओर निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है। संख्या 20, रिज़र्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का प्रतीक, गारंटी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर तथा अशोक स्तम्भ को उभरा हुआ मुद्रित किया गया है। RBI शब्द और अंक 20 को सूक्ष्म अक्षरों में महात्मा गांधी के चित्र के पीछे वैकल्पिक रूप से मुद्रित है। एक पहचान चिह्न के रूप में नोट के बाएँ ओर छोटी खड़ी	नोट की मूल संकल्पना में नारियल वृक्षावली से घिरा भारतीय समुद्रतट दिखाई देता है। बायीं ओर भाषाई पैनल में नोट का मूल्य पन्द्रह भाषाओं में दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			आयताकृति उभरे हुए रूप में मुद्रित गई है, ताकि कमजोर नज़र वाले भी नोट का मूल्यवर्ग आसानी से पहचान सकें। संख्या पटल में अंकों को लाल रंग में मुद्रित किया गया है।	
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 20 अंक दिखानेवा लाइलेक्ट्रो टाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		देखा जा सकता है।		
III. 50 रुपये का नोट				
1975	147 x 73 मिमी	अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र हैं.	बैंगनी रंग जिसमें नीले, हरे और हल्के जामुनी रंग की आभा है। 50 का अंक गहरे भूरे रंग में। भाषा-पैनल बाईं ओर और दाईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	बैंगनी, भूरा और पीला रंग। बीच में संसद भवन। वाटरमार्क विन्डो हल्के बैंगनी रंग में, जिसके चारों ओर का सजावटी डिजाइन दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
1981	उक्त	उक्त	उभरा हुआ मुद्रण- गहरा नीला, पीला और लाल। अशोक स्तम्भ और भाषाएं गहरे बैंगनी रंग में तथा बाकी का नोट गहरे हरे और भूरे रंग में। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राई-ऑफसेट पीलापन लिए हुए भूरा तथा समूचा नोट गहरे जामुनी रंग में। संसद भवन पर झण्डा दिखाया गया है।
1997	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गांधी का चित्र तथा बहु-आयामी रेखाएँ	पीला, नीला और बैंगनी रंग। अशोक स्तम्भ के स्थान पर नीले रंग में महात्मा गाँधी का चित्र। सुरक्षा धागा नोट के भीतर पूर्णतः छिपा हुआ जिस पर 'भारत RBI' शब्द लिखे हुए हैं। वाटरमार्क के बाँए तरफ छोटी ठोस काली वर्गाकार आकृति, जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती	भारतीय संसद का समग्र दृश्य जिसके ऊपर फुलकारी बनाई गई है और किनारे की तरफ बारीक नक्काशी की गई है। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			है।	
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 50 अंक दिखानेवा लाइलेक्ट्रो टाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 1.4 मि.मी। हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन खण्ड, बाई ओर अशोक स्तंभ, तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर इंटेग्लिओट प्रिंटिंग में, अर्थात् मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाई ओर इंटेग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक वर्गाकार आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	
IV. 100 रुपये का नोट				
1967	157x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ	नीला रंग। बीच में बड़े आकार में 100 का अंक। दाईं ओर अशोक स्तम्भ की प्रतिमा।	बायीं ओर खड़े भाषाओं के पैनल में 14 भारतीय भाषाएँ। वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में हीराकुंड बाँध का चित्र।
1969	उक्त	उक्त	नीला रंग और वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम और उसमें बैठे महात्मा गाँधी का चित्र।
1975	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ में चक्र	उभरा हुआ मुद्रण। गहरा नीला साथ में नीले, भूरे, गुलाबी और गहरे हरे रंग की आभा। 100 का अंक गहरे नीले रंग में। वाटरमार्क विन्डो का रंग हल्का नीला। रिज़र्व बैंक का नाम, वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में। भाषाओं का पैनल बाँईं ओर तथा दाँईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे	उभरा हुआ मुद्रण। अनाज की गहरी नीली और भूरी छाया, कृषि कार्य, चाय के बागान, जल विद्युत परियोजना। वाटरमार्क विन्डो के चारों ओर बनी सजावटी आकृति दूसरी ओर बने डिजाइन में पूरी तरह

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			तक मुद्रण किया गया है।	से समा जाती है।
1979	उक्त	उक्त	एक ओर उभरा हुआ मुद्रण. नीला, लाल और गहरा हरा रंग। लाली और पीलापन लिए हुए हरे रंग की छाया। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राइ-ऑफसेट। काला और मरून रंग। हरापन लिए हुए नीले और भूरेपन की छाया।
1996	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-दिशीय रेखाएं	मुद्रण में उभारदार और ऑफसेट दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। समग्र रंग योजना में नीले, भूरे और हरे रंग की गहनता। महात्मा गाँधी का चित्र। विंडों में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा छिपा और थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से गुंथा हुआ है। इसपर "भारत" और "RBI" शब्द मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बाँई ओर काली ठोस त्रिकोणी आकृति उभरकर बनी हुई है जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में मदद करती है।	मुख्य रूप से कंचनजंगा पर्वत शिखर का समूचा दृश्य चित्रित किया है जिसके चारों ओर फुलकारी और जरदोशी के डिजाइन बने हैं। बायीं ओर भाषाओं के पैनल में 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गी	100 रुपये के नोट में विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		<p>य 100 अंक दिखानेवा लाइलेक्ट्रो टाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।</p>	<p>अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 2 मि.मी।</p> <p>इंटेग्लिओट प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाई ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाई ओर इंटेग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक त्रिकोण आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है।</p> <p>चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।</p>	

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
<u>V. 500 रुपये के नोट</u>				
1987	167 x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ जिसके सभी ओर चक्र हैं।	ड्राइ-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण। पृष्ठभूमि के रंगों में मोरपंखी नीला, चटकीला नीला और हरा। महात्मा गाँधी का चित्र, अशोक स्तम्भ, वचन खण्ड और भाषा पैनल उभरे हुए मुद्रित हैं। कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए, वाटरमार्क के बायीं ओर पाँच काली समानांतर सहायता रेखाएँ उभरी हुई मुद्रित हैं।	पृष्ठभूमि में निकलता हुआ सूरज। पृष्ठभूमि का रंग गहरा हरा, संतरी और आसमानी। महात्मा गाँधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए।
1997	167 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-दिशीय रेखाएं	ड्राइ-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण। पृष्ठभूमि के रंगों में ज्यादातर पीला, हरा बैंगनी और भूरा। महात्मा गाँधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का नाम, गारण्टी और वचन खण्ड, अशोक स्तम्भ इनसेट और गवर्नर के हस्ताक्षर उभरे हुए मुद्रित हैं। विन्डो में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता है लेकिन अंदर से पूरी तरह गुँथा हुआ है। इस धागे पर 'भारत' 'RBI' मुद्रित हैं। महात्मा गाँधी के चित्र के पीछे की हरी खड़ी पट्टी पर 500 की अप्रकट छवि है। कमजोर नज़र वालों को नोट	महात्मा गाँधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए भूरे रंग में, ऊपर की तरफ फुलकारी तथा चारो और जरदोजी का डिजाइन। बायीं ओर 15 भाषाओं का खड़ा भाषा पैनल है। उक्त सभी विशेषताएं उभरी हुई रूप में मुद्रित हैं।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए, वाटरमार्क के बाँई तरफ एक छोटीसी ठोस गोलाकृति उभरी हुई मुद्रित हैं।	
2000	167 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएं	रंगों में मुख्य रूप से हल्का पीला, बैंगनी और भूरा , महात्मा गाँधी का चित्र हल्के भूरे रंग में। 500 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ऑप्टिकली वेरियेबल इंक - ओवीआइ)से मुद्रित किया गया जो हरे से नीले रंग में बदलता है । इनके अलावा, बाकी डिजाइन 1997 की तरह ही है ।	इसका डिजाइन 1997 की श्रृंखला वाले नोट की डिजाइन की तरह ही है ।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गीय 500 अंक दिखानेवा लाइलेक्ट्रो टाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे	500 रुपये के नोट में विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है । अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 3 मि.मी.। इंटैग्लिओट प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक गोलाकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच बैंकनोट के मुखपृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	

VII. 1000 रुपये

2000	177 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-	सामान्य रूप से रंग गुलाबी है (हल्का पीलापन लिए हुए गुलाबी और पृष्ठभूमि में सलेटी ऑफसेट)। महात्मा गाँधी का चित्र भूरे रंग का है। महात्मा गाँधी का चित्र, अंक 1000, एक हजार रुपये, रिजर्व बैंक	समूची विचारधारा में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को तीन रंगों में उभारदार मुद्रण के माध्यम से प्रकट किया है। भाषाओं के
------	----------------	---	--	--

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		आयामी रेखाएं	की मोहर, रिजर्व बैंक का नाम, गारण्टी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर उभरे हुए मुद्रित हैं। बायीं ओर का संख्या पैनल लाल रंग में और दाईं ओर का संख्या पैनल नीले रंग में है। 1000 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ऑप्टिकली वेरियेबल इंक - ओवीआइ) से मुद्रित किया गया है जो हरे से नीले में बदलता है। ऑप्टिकल वेरियेबल (रंग बदलने वाली स्याही) विन्डोवाले सुरक्षा धागे में चुम्बकीय गुण हैं और उसपर "भारत" "1000" और RBI मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बायीं ओर छोटा काले रंग का ठोस एक उभरा हुआ हिरे का आकार मुद्रित है ताकि कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा हो।	पैनल में बायीं ओर नोट का मूल्य 15 भाषाओं में लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 1000 अंक	1000 रुपये के नोट में, विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा है जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी चौड़ाई - 3 मि.मी. में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		<p>दिखानेवा लाइलेक्ट्रो टाइप वाटरमार्क हैं, इन्हें बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।</p>	<p>का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है। इंटैग्लिओट प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाई ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाई ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् उसे अधिक उभारदार एक हिरे का आकार मुद्रित किया गया है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करता है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच बैंकनोट के मुखपृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।</p>	